रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24—जनवरी 30, 2009 (माघ 4, 1930)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24—JANUARY 30, 2009 (MAGHA 4, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2009

निर्देश सं. एनएचबी. एचएफसी. निर्देश.26/सीएमडी/2008.-राष्ट्रीय आवास बैंक सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धाराओं 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त

reference to its position as on March 31 irrespective of the date of closing of the financial year of the company, to the Head office of the National Housing Bank, New Delhi as specified in paragraph 40 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001. A certificate from the auditors of the company as required in terms of paragraph 38 of the Notification should be appended to the return."

II. Under the heading "SCHEDULE II" (Half-Yearly Return as on March 31/September 30,) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 the instruction reading "(To be submitted within two months from close of the half year)" shall be substituted, namely:—

"(To be submitted within 6 weeks from close of the half year)"

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 5th January 2009

No. NHB.HFC.DIR. 26/CMD/2009—The National Housing Bank being satisfied that, in the public interest it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further amended in the following manner, namely :—

I. Under the instructions "General" for filling and submission of the return Schedule I (Annual Return) in Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 for paragraph 1, the following shall be substituted, namely:—

"1. The return after compilation, should be submitted by a housing finance company once a year as early as possible after March 31 and latest by June 30 with

कम्पनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001, तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार पुन: संशोधित किये जाते हैं, यथा :—

I. आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में अनुसूची I (वार्षिक विवरणी) में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए ''सामान्य'' निर्देशों के तहत, अनुच्छेद 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा, यथा:-

''1. आवास वित्त कंपनी द्वारा यथा 31 मार्च को अपनी स्थिति के बारे में, चाहे कंपनी के वित्त वर्ष बंद होने की तारीख कुछ भी हो, संकलन के बाद विवरणी 31 मार्च के पश्चात् यथा संभव शीघ्र समय पर किंतु अधिक से अधिक 30 जून तक राष्ट्रीय आवास बैंक के मुख्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाए जैसाकि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 40 में निर्दिष्ट है । अनुच्छेद 38 के अनुसार यथा अपेक्षित कंपनी के लेखा परीक्षकों का एक प्रमाण-पत्र भी विवरणी के साथ संलग्न किया जाये ।''

II. आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 के शीर्षक ''अनुसूची II '' (31 मार्च/30 सितम्बर को अर्ध वार्षिक विवरणी) के तहत दिये गए निर्देश (छमाही समाप्त होने से दो माह के अंदर प्रस्तुत की जाए) के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित होगा, यथा :--

''(छमाही समाप्त होने से 6 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाए)''

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक